संख्या-44/2026/414/छप्पन-2026/56-1009(003)/1/2022

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 05 मई, 2026

विषय: निदेशालय के पायलटों को बेल 412 हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, के सिमुलेटर पर इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39/ना0उ0नि0/आप्स-17/2024, दिनांक 09 अप्रैल, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निदेशालय के 07 पायलटों की बेल 412 हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, के सिमुलेटर पर इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग उनके नाम के सम्मुख अंकित माह में पूर्ण करायी जानी है, जो निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	पायलट का नाम	प्राप्त तिथि
01	कै0 सुनील कौरा	26 व 27 अप्रैल, 2026
02	के0 ए0के0 भूटानी	जुलाई, 2026
03	कै0 दीपक श्रीवास्तव	अगस्त, 2026
04	कै0 राजेश कुमार शर्मा	सितम्बर, 2026
05	कै0 अनूप सिंह	अक्टूबर, 2026
06	के0 एस0के0 गिरि	नवम्बर, 2026
07	कै0 जी0एस0 पड्डा	जनवरी, 2027

2- यह भी अवगत कराया गया है कि मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर प्रा०लि०, बैंगलोर में निदेशालय के पायलटों के उक्त प्रशिक्षण के निमित्त माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 4,96,000/- (18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त) तथा माह अक्टूबर, 2026 से माह जनवरी, 2027 तक प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 5,44,000/- (18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रति पायलट तथा निदेशालय के 07 पायलटों की उक्त ट्रेनिंग के निमित्त प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल रू० 36,16,000/- (18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त) का व्यय निहित्त होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- निदेशालय द्वारा अनुरोध किया गया है कि बेल-412 हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर उक्त पायलटों के नाम के सम्मुख अंकित माह में 02 घंटे की इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग Flight Training Device (FTD) पर तथा 02 घंटे की क्रिटिकल ट्रेनिंग Full Flight Simulator (FFS) पर सम्पादित कराये जाने के निमित्त 04 दिनों (02 दिन प्रशिक्षण तथा दो दिन आने-जाने) का प्रशासकीय अनुमोदन तथा माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर, 2026 तक 04 पायलटों के प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 4,96,000/- (18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त) तथा माह अक्टूबर, 2026 से माह जनवरी, 2027 तक 03 पायलटों के प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 5,44,000/- (18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रति पायलट का भुगतान बिल बेसिस के माध्यम से ट्रेनिंग पूर्ण होने की तिथि से एक माह के अन्दर भुगतान कराये जाने तथा पायलटों को ट्रेनिंग हेतु वायुयान किराये, होटल एकोमोडेशन, टैक्सी, खान-पान इत्यादित का समायोजन नियमानुसार टी०ए० / डी०ए० बिल के माध्यम से कराया जाएगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2026-27 में बेल-412 हेलीकाप्टर के सिमुलेटर पर उक्त पायलटों के नाम के सम्मुख अंकित माह में 02 घंटे की इन्स्ट्रूमेन्ट फ्लाईंग ट्रेनिंग Flight Training Device (FTD) पर तथा 02 घंटे की क्रिटिकल ट्रेनिंग Full Flight Simulator (FFS) पर मेसर्स हैट्सऑफ हेलीकाप्टर प्रा०लि०, बैंगलोर में सम्पादित कराये जाने के निमित्त 04 दिनों (02 दिन प्रशिक्षण तथा दो दिन आने-जाने) का प्रशासकीय अनुमोदन तथा माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर, 2026 तक 04 पायलटों के प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 4,96,000/- (18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त) तथा माह अक्टूबर, 2026 से माह जनवरी, 2027 तक 03 पायलटों के प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 5,44,000/- (18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त) प्रति पायलट अर्थात 07 पायलटों की उक्त ट्रेनिंग के निमित्त प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल रू० 36,16,000/- (रू0 छत्तीस लाख सोलह हजार मात्र) (18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त) का भुगतान बिल बेसिस के माध्यम से ट्रेनिंग पूर्ण होने की तिथि से एक माह के अन्दर निम्नलिखित शर्तों के अधीन भुगतान कराये जाने तथा पायलटों को ट्रेनिंग हेतु वायुयान किराये, होटल एकोमोडेशन, टैक्सी, खान-पान इत्यादित का समायोजन नियमानुसार टी०ए० / डी०ए० बिल के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत प्रशिक्षण के सन्दर्भ में मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू द्वारा पायलटगण के प्रशिक्षण की आवंटित तिथि में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो ऐसी दशा में श्री राज्यपाल द्वारा मात्र प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया जाता है कि मेसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलुरू से प्रशिक्षण की वास्तविक/संशोधित तिथि प्राप्त होने के बाद वे सम्बन्धित पायलट को ट्रेनिंग पर प्रस्थान करने हेतु अनुमति प्रदान करें। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि (02 दिन) तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण की प्रस्तावित अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस अवस्था में यथा समय शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा।

(4) पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जाएगी।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(7) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष आवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(12) उक्त स्वीकृत धनराशि में से समस्त भुगतान के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(13) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव।

संख्या-44/2026/414(1)/छप्पन-2026 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य), अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
6- सम्बन्धित पायलटगण।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।